भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3149

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई के लिए व्यापार विकास ऐप

3149. श्री दामोदर अग्रवाल:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में व्यापार विकास ऐप/एमएसएमई के लिए व्यवसाय विकास एप्लिकेशन पर उपलब्ध प्रमुख विशेषताओं और सेवाओं का ब्यौरा क्या है और देशव्यापी स्तर पर उक्त ऐप के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और देशभर में वर्तमान में कार्यरत व्यवसाय सुविधा केंद्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा व्यापार विकास ऐप/व्यवसाय विकास एप्लिकेशन के कवरेज को देशभर के सभी तालुकों तक विस्तारित करने के लिए कोई समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण के अंतर्गत प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक व्यापार विकास ऐप/व्यवसाय विकास एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म पर शामिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का क्षेत्रवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है

(घ) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परिषद ने लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यापार विकास एप्लिकेशन/व्यवसाय विकास ऐप के माध्यम से 500 करोड़ रुपये तक की ऋण/क्रेडिट तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीसीएफसी के साथ साझेदारी को अंतिम रूप दे दिया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश सहित राज्यवार और जिलावार कितनी ऋण राशि स्वीकृत और संवितरित की गई है और तत्संबंधी पद्धति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए व्यापार विकास ऐप के नाम से कोई व्यवसाय विकास एप्लिकेशन स्थापित नहीं किया है।

(ख) से (ड.): प्रश्न नहीं उठता।
